रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2008/ज्येष्ठ 26, 1930
No. 99] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2008/JYAISTHA 26, 1930

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

पुणे, 5 फरवरी, 2008

बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पांचवां) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के बाद तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व संस्वीकृति के साथ, एतद्द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठक) विनियम, 2004 में निम्नलिखित आशोधन करता है, नामत: :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**–(1) ये विनियम बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठक) विनियम, 2004 कहलाएंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की दिनांक से प्रभावित होंगे ।

2. **बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठक) विनियम, 2004 के विनियम 2 और 4 में आशोधन :**

(i) विनियम 2, में खंड "त" जोड़ा जाए :

"(त) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जिनकी परिभाषा इन विनियमों में नहीं दी गई है, किन्तु अधिनियम या योजना, या भारतीय एक्सचेंज और प्रतिभूति बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में दी गई है और यथाप्रसंग अधिनियम के खंड 3 के उप-खंड (2ख) के खंड (ग) के प्रावधानों के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार दिशानिर्देशों या योजना या भारतीय एक्सचेंज और प्रतिभूति बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषाएं लागू होंगी ।"

(ii) विनियम 4 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएं, नामत: :–

"4क (1)" बैंक सार्वजनिक निर्गम या अधिमान आबंटन या इक्विटी शेयरों या अधिमान शेयरों के निजी नियोजन के द्वारा पूंजी जुटा सकता है ।

(2) इस प्रकार की पूंजी जुटाने के संबंध में भारतीय एक्सचेंज और प्रतिभूति बोर्ड के विनियमों या नियमों या दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक पूंजी जुटाने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा ।

(3) सार्वजनिक निर्गम या अधिमान आबंटन या अधिमान शेयरों के निजी नियोजन के द्वारा पूंजी जुटाने के लिए ऐसे अधिमान शेयरों (चाहे स्थायी या मोचनीय या अमोचनीय हो) के प्रत्येक संवर्ग के निर्गमों का विस्तार और ऐसी शर्तों व निबंधनों, जिनके अधीन ऐसे अधिमान शेयर बैंक द्वारा जारी किए जा सकते हैं, का निर्धारण अधिनियम के खंड 3 के उप-खंड (2ख) के खंड (ग) के प्रावधानों के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिमत पर विचार करेगा ।

(5) अंतिम प्रस्ताव मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा केन्द्र सरकार उनके द्वारा उचित समझी गई शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान कर सकती है ।

(6) केन्द्र सरकार से प्राप्त मंजूरी के अनुसार बैंक पूंजी उगाहेगा ।"

ए. टी. हलसगीकर, महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं

[विज्ञापन-III/4/318/08-असा.]

टिप्पणी.—मूल विनियम भारत सरकार के राजपत्र में भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 14-8-2004 की अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office)

NOTIFICATION

Pune, the 5th February, 2008

In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Maharashtra after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government propose to make the following amendments to the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, namely :—

1. **Short title and commencement** . —(1) These Regulations may be called the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendments of Regulation 2 and 4 in the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulation, 2004:**

   (i) in regulation 2, the following clause shall be included under clause (p) namely—

   '(p) The words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Act or Scheme, or guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India and the guidelines framed by the Reserve Bank of India in pursuance to the powers conferred on it under the proviso to clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act or the Scheme or the guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India or framed by the Reserve Bank of India as the case may be";

   (ii) after regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely—

   '4A(1) The Bank may raise capital by public issue or preferential allotment or private placement of Equity Shares or Preference shares.

   (2) The Bank shall formulate a proposal to raise capital in accordance with the guidelines, rules or regulations of the Securities and Exchange Board of India, relating to raising of such capital.

   (3) For raising capital by public issue or preferential allotment or private placement of Preference Shares, the extent of issue of each class of such Preference Shares (whether perpetual or irredeemable or redeemable) and the terms and conditions subject to which each class or such Preference Shares that may be issued by the Bank shall be determined in accordance with the guidelines framed by the Reserve Bank in pursuance to the provisions contained in the proviso to clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

   (4) The Bank shall submit the proposal to the Reserve Bank and take into account the views of the Reserve Bank before finalizing the proposal.

   (5) The final proposal shall thereafter be submitted to the Central Government for its sanction and the Central Government may grant sanction subject to such terms and conditions as it may deem fit.

   (6) The Bank shall raise capital in accordance with the sanction of the Central Government."

A. T. HALASGIKAR, General Manager, Investor Services

[ADVT-III/4/318/08-Exty.]

Foot Note:—The Principal Regulation was published in the Gazette of India in Part III, Section 4 *vide* Notification dated 14-08-2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.